उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं० H-91135/C-2/NGT-62/O.A. No. -817/2023
Ref. No ....

दिनांक : 25-03-2023
Date ....

To,

The Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg, New Delhi.
E-mail - judicial-ngt@gov.in

Sub: Regarding Submission of Action Taken Report pursuant to the order dated 16.11.2022 in O.A. No. 817/2022 in the matter of Sandal Parveen Vs Union of India & Ors.

Sir,

That it is submitted that in compliance of Hon'ble NGT order dated 16.11.2022 in the matter of O.A. No. 817/2022 Sandal Praveen Vs Union of India and Ors., the compliance report of joint committee constituted by Hon'ble NGT has been filed on 22.03.2023.

In continuation of that it is further submitted that as per report sent by Regional Officer, UPPCB, Sonbhadra vide letter dated 25.03.2023., at present 1,29,236.85 MT coal is still present at the site. Google satellite image shows that the dumping of coal in Krishnasila railway siding was not observed during 2017, two small patches was noticed in 2018 onwards, which was continuously increasing up to 2020. Google satellite image of 2021 is not available. Google satellite image shows that the significant coal stockpile was observed in year, Dec, 2022 in area in question. The area in question comes under jurisdiction of M/s Northern Coalfield Ltd. Bina Project, Bina, Sonbhadra. Due to spontaneous combustion of coal, ambient air quality of the area is being affected. UPPCB conducted ambient air quality monitoring in area in question. Analysis report depicted that the values of PM10 is 460 µg/m3, which approx.5 time more than the permissible limit of 100 µg/m3. It reveals that M/s NCL, Bina Project, Bina, Sonbhadra is not complying with the provisons of Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981 as amended.

Therefore, U.P. Pollution Control Board has imposed Environmental Compensation of Rs. 4,43,40000/- for defaulting period against M/s Northern Coalfield Ltd, Bina Project, Bina, Sonbhadra vide letter dated 25.03.2023. The copy of letter dated 25.03.2023 is attached herewith and marked as **Annexure No.-1.**

It is requested that the above action taken report may be presented before the Hon'ble Tribunal for kind consideration.

Encl: As above.

Yours faithfully,

(Rajendra Singh)
Chief Envronmental Officer (Circle-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0 Ref. No H91134/C-2/NGT-62/OA No-817/2023 दिनांक Date 25-3-23

सेवा में, पंजीकृत

मैसर्स नार्दन कोलफील्ड्स लि0,
बीना परियोजना, बीना,
सोनभद्र।

विषय– नार्दन कोलफील्ड्स लि0, बीना परियोजना, बीना, सोनभद्र पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–817/2022 Sandal Parveen V/s. Union of India & Ors. में पारित आदेश दिनांक 16.11.2022 के अनुपालन में जिला प्रशासन, सोनभद्र के नामित प्रतिनिधि, क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ के नामित प्रतिनिधि एवं राज्य बोर्ड के नामित अधिकारियों द्वारा Factual Report, बोर्ड मुख्यालय प्रेषित की गयी है। क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र द्वारा दिनांक 25.03.2023 को प्रेषित आख्यानुसार प्रश्नगत शिकायती प्रकरण के अन्तर्गत कृष्णशिला रेलवे साइडिंग बीना, सोनभद्र पर बिना अनुमति के कोयला भण्डारित पाया गया। ज्येष्ठ खान अधिकारी, सोनभद्र के पत्रांक–4236/खनिज लि0/2022–23 दिनांक 03.03.2023 द्वारा प्राप्त सूचनानुसार प्रश्नगत स्थल पर भण्डारित कोयले की मात्रा लगभग **1,29,236.85 मीट्रिक टन** है। उक्त प्रश्नगत शिकायती स्थल मेसर्स नार्दर्न कोलफील्ड्स लि0, बीना परियोजना, बीना, सोनभद्र के अन्तर्गत आच्छादित है। उक्त शिकायती प्रकरण में समिति द्वारा प्रेषित आख्यानुसार शिकायती स्थल पर अत्यधिक मात्रा में भण्डारित कोयले के दहन के फलस्वरूप जनित गैसीय उत्सर्जन से परिवेशीय वायु गुणता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। प्रश्नगत शिकायती स्थल के निकट परिवेशीय वायु गुणता का अनुश्रवण कार्य राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 09.12.2022 को कराया गया था। परिवेशीय वायु की अनुश्रवण आख्यानुसार परिवेशीय वायु के नमूनें में वायु प्रदूषणकारी अवयवों (पी0एम010) की मात्रा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों से अधिक पायी गयी। समिति द्वारा प्रेषित आख्यानुसार गूगल सेटेलाइट के माध्यम से प्राप्त सूचनानुसार प्रश्नगत शिकायती स्थल पर वर्ष 2017 तक कोल डम्प नहीं पाया गया। तत्पश्चात् वर्ष 2018 में भण्डारित कोल के Patches प्रकाश में आये, जिनके आकार में लगातार वर्ष 2020 तक वृद्धि हो रही थी एवं वर्तमान में अत्यधिक मात्रा में कोयला भण्डारित है। इस प्रकार परिलक्षित होता है कि मेसर्स नार्दर्न कोलफील्ड्स लि0, बीना परियोजना, बीना, सोनभद्र द्वारा बिना कवर्ड वाहनों से कोल परिवहन कराया जा रहा था, जो कि उद्योग को निर्गत सहमति आदेश में आरोपित शर्तो का उल्लंघन करना दर्शाता है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2018 से दिनांक 09.12.2022 तक अर्थात् कुल 1478 (प्रति वर्ष 300 कार्य दिवस के आधार पर) दिनों की उल्लंघन अवधि अर्थात् कुल 1478 दिनों हेतु मेसर्स नार्दर्न कोलफील्ड्स लि0, बीना परियोजना, बीना, सोनभद्र के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन हेतु निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार रूपये 30,000/– प्रतिदिन की दर से कुल रूपये 4,43,40,000/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र द्वारा आंकलित की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त मेसर्स नार्दर्न कोलफील्ड्स लि0, बीना परियोजना, बीना, सोनभद्र पर कुल रू0 **4,43,40,000/-** (रूपये चार करोड़ तेतालीस लाख चालीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था एवं उसके उत्तरदायी अधिकारियों का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

......2/–

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

प्रतिलिपि :—

1. जिलाधिकारी, सोनभद्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समयसीमा में प्राप्त न होने की स्थिति में भू—राजस्व की भांति वसूली हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त—2)